दिनांक- 13.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 188/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने 03 नफर वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं में संलिप्त वांछित अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित व0उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह मय हमराह उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा, उ0नि0 अनुज कुमार सिंह, कां0 विनय प्रताप सिंह व कां0 अजीत यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 मु0अ0स0 128/26 धारा 118(2)/288 बीएनएस व 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधि0 से सम्बन्धित 03 नफर वांछित अभियुक्तगण क्रमशः 1.दीपेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ गुल्लू पुत्र संतोष विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा 2.जगन्नाथ पुत्र तोला उर्फ तुलइया श्रीवास उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा 3.राममिलन पुत्र जगन्नाथ श्रीवास उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा को सिचौरा धरौन रोड पर बनी पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगणो से घटना मे प्रयुक्त विस्फोट डेटोनेटर के 06 अदद तार पतले जिसमे एक सिरा विस्फोट होने से जला था बरामद किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.दीपेन्द्र विश्वकर्मा उर्फ गुल्लू पुत्र संतोष विश्वकर्मा उम्र 26 वर्ष निवासी लिलवाही थाना कबरई जनपद महोबा

2.जगन्नाथ पुत्र तोला उर्फ तुलइया श्रीवास उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा

3.राममिलन पुत्र जगन्नाथ श्रीवास उम्र 20 वर्ष निवासी ग्राम सिचौरा थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 अनुरुद्ध प्रताप सिंह 2. उ0नि0 मनोज कुमार मिश्रा 3. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
4. का0 विनय प्रताप सिंह 5. का0 अजीत यादव

दिनांक- 13.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 189/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम ने

अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अवैध शस्त्र व कारतूस के क्रय-विक्रय एवं परिवहन की रोकथाम तथा ऐसे अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 13.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन एवं श्री अनुरुद्ध कुमार, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक महोबकंठ श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम में उ0नि0 रोहित कुमार के नेतृत्व में धवार मोड़, बहद ग्राम धवार से 01 अभियुक्त को अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त रोहित पुत्र प्रेमचन्द्र रिछारिया, उम्र करीब 27 वर्ष, निवासी ग्राम परावारी थाना महोबकंठ जनपद महोबा है। अभियुक्त के कब्जे से एक अदद देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद किया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. रि0कां0 नितिन कन्नौजिया
3. रि0कां0 श्रीकान्त पटेल

बरामदगी-

- एक अदद देशी तमंचा 315 बोर
- एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 78/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना महोबकंठ

अभियुक्त-

रोहित पुत्र प्रेमचन्द्र रिछारिया, निवासी ग्राम परावारी थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 13.06.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 190/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति केन्द्र की पहल से गुमशुदा युवती सकुशल बरामद, काउंसलिंग उपरांत माता-पिता के साथ भेजा गया।

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में गुमशुदा व्यक्तियों की सकुशल बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में मिशन शक्ति केन्द्र थाना पनवाड़ी पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।
- आवेदक पुष्पेन्द्र पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम बसरिया, थाना महोबकंठ जनपद महोबा द्वारा अपनी बहन खुशबु के कहीं चले जाने के संबंध में गुमशुदगी संख्या 08/2026 दर्ज कराई गई थी।
- उक्त प्रकरण में पुलिस टीम द्वारा सतत प्रयास करते हुए दिनांक 12/06/2026 को गुमशुदा खुशबु को सकुशल बरामद किया गया तथा उसके माता-पिता को सूचना दी गई।
- सूचना पर गुमशुदा के माता-पिता थाना पनवाड़ी उपस्थित हुए, जहां मिशन शक्ति केन्द्र में खुशबु की काउंसलिंग की गई।
- काउंसलिंग के दौरान खुशबु द्वारा बताया गया कि वह स्वेच्छा से अपने माता-पिता के साथ अपने घर ग्राम बसरिया, थाना महोबकंठ जाना चाहती है।
- उपरांत गुमशुदा खुशबु को उसकी इच्छा के अनुसार उसके माता-पिता के साथ ससम्मान रुखसत किया गया।
- उक्त कार्यवाही मिशन शक्ति केन्द्र की प्रभावी पहल का परिणाम है, जिससे पारिवारिक समरसता एवं महिला सुरक्षा को बल मिला है।